प्रेस रिलीज़: ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय बिहार द्वारा BIA में SPREE 2025 योजना पर सेमिनार का आयोजन

पटना, बिहार – 01 अगस्त   2025

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में ईएसआईसी द्वारा SPREE/स्प्री 2025 (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) योजना के विषय में सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में बिहार इंडसट्रीज एसोशियएन के अध्यक्ष श्री के पी एस केशरी ने ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक सीए निरंजन कुमार का सम्यक स्वागत किया । इस सेमिनार में बिहार क्षेत्र के बड़े नियोक्ता व औधोगिक संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए ।

इस दौरान क्षेत्रीय निदेशक सीए निरंजन कुमार ने SPREE (नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) के विषय में विस्तार से सभी उपस्थित नियोक्ता व हितधारकों को अवगत कराया कि SPREE ईएसआईसी द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल है, जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक नियोक्ताओं को उनकी फैक्ट्री/प्रतिष्ठानों और सभी पात्र कर्मचारियों को बिना पिछले अवधि के बकाया की मांग के पंजीकृत करने के लिए अवसर प्रदान करती है ।

SPREE 2025 योजना के तहत पंजीकरण करने पर पूर्व अवधि के लिए किसी भी बकाया राशि की मांग या जांच नहीं की जाएगी। यह योजना वैसे संस्थानों के लिए लाभकारी है जिनके पास 10 या अधिक कर्मचारी हैं, जैसे कि दुकानें, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सड़क परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, और नगर निगमों के संविदा/अस्थायी कर्मचारी।

- इस योजना के तहत कर्मचारी द्वारा घोषित पंजीकरण तिथि से पहले की अवधि के लिए कोई रिकॉर्ड जांच या बकाया की मांग नहीं की जायेगी
- पिछली अवधि के लिए कोई अंशदान भुगतान का दायित्व नहीं होगा।
- पिछले गैर-पंजीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी।

उन्होंने आगे यह भी बताया कि SPREE 2025 के तहत पंजीकृत नियोक्ताओं को पूर्व अवधि के लिए कोई योगदान देयता या निरीक्षण का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, पंजीकृत कर्मचारियों को पंजीकरण की तारीख से चिकित्सा देखभाल, बीमारी, मातृत्व, चोट, या रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों में नकद लाभ और ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

सेमिनार में यह भी चर्चा की गई कि ईएसआईसी द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी ,लंबित विवादों को हल करना और कानूनी बोझ को कम करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों और न्यायालयों में लंबित मामलों को वापस लेने और त्वरित समाधान का अवसर प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से उन मामलों में जहां बकाया राशि का भुगतान हो चुका हो। क्षेत्रीय निदेशकों को उन मामलों को वापस लेने का अधिकार दिया गया है जहां बकाया राशि का निपटान हो चुका है।

बिहार इंडसट्रीज एसोशियएन के अध्यक्ष श्री के पी एस केशरी ने इस योजना व्यवसायों के लिए एक सुनहरा अवसर बताते हुए कहा कि यह योजना , न केवल सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है, बल्कि व्यवसाय करने की सुगमता (Ease of Doing Business) के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी समर्थन करता है। नियोक्ताओं से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि वे SPREE योजना और एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाने के लिए तुरंत पंजीकरण कराएं।

पंजीकरण प्रक्रिया:
नियोक्ता निम्नलिखित के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं:

- **श्रम सुविधा पोर्टल**: https://registration.shramsuvidha.gov.in
- **ईएसआईसी पोर्टल**: https://www.esic.gov.in
- **या MCA पोर्टल के माध्यम से**

सेमिनार में ईएसआईसी की तरफ से उप निदेशक श्री केशव कुमार झा एवं श्री राकेश रंजन तिवारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे तथा BIA की तरफ से डी पी सिंह, प्रेम नारायण प्रसाद आदि उपस्थित रहे।

BIA बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन BIA
एवं
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
के संयुक्त तत्वावधान में
SPREE योजना 2025 पर संगोष्ठी
स्थान : बीआईए सभागार
दिनांक : 01-08-2025
समय : संध्या 5:00 बजे
Bihar Industries Association